

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख  
हुक्म

बनाम जयलक्ष  
मु.नं. 12/24

नम  
अह  
मं-वृत्त

01-10-24 पत्रावली पेश हुई। प्रोवासीन कछिठारी राज्य कार्य हेतु सर्वकोर्ट जयपुर पधारे लिखे न्यायिक कार्य नही हो सका। पत्रावली पूर्वतुकार दिनांक 7-11-24 को पेश हो।

7-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील को दिवापत दी जाती है कि क.प्रार्थी सं. 01 की तलवी जरिये Regd AD तलवाना सम्मन कावतक रूप से पेश करे। अन्यथा पत्रावली में कनिम कार्य कही उमाल में लाई जायेगी। पत्रावली वास्तै खकी दिनांक 20-12-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

20-12-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी सं. 01 के तलवाना सम्मन भ्रष्ट। वकील प्रार्थी को दिवापत दी जाती है कि प्रार्थी सं. 01 की तलवी जरिये Regd AD तलवाना सम्मन स्वै पते स्वहित अनिवार्य रूप से पेश करे। पत्रावली वास्तै तलवी दिनांक 17-1-25 को पेश हो।

Note press 24/12/24

24/12/24 पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा तलव हेतु निवेदन करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वह पत्रावली में कोई कार्यवाही हाई चाहते हैं इस बावत वकील प्रार्थी ने पत्रावली को Not Press किया। वकील प्रार्थी निवेदन बावत Not Press स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में कार्यवाही इसी मन्वर घर समाप्त की जाती है तथा प्रापण अन्तर्गत

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>..... बनाम..... <u>मोहर घाल</u> मु.नं. 125/24 <u>जयलाल</u> क.इ</p> <p>धारा 212 RSM 1955 में जारी अन्तरिम प्ररथाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पतावली फंसल भुगत कर साथिल इफ्तार है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	